कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2675/प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(जनहित में)				
01	श्री जितेन्द्र प्रसाद/2.10. 1973	सिंचाई खण्ड विकासनगर	सिंचाई खण्ड पुरोला	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लधंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2675/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर– I/स्तर– II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2676 /प्र0अ0/सिं0वि/का0-02/ई-18 दिनांक 09 जून 2023

-:कार्यालय-ज्ञापः-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(जनहित में)				
01	श्री मेहर/27.091972	सिंचाई खण्ड विकासनगर	सिंचाई खण्ड पुरोला	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2676 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/तदिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/स्तर-II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2677/प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

--:कार्यालय–ज्ञापः--

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(जनहित में)				
01	श्री वेद प्रकाश/08.07.1972	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	सिंचाई खण्ड चमोली	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरुद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2677/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2678/प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री पवन/ 8.6.1973	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	सिंचाई खण्ड चमोली	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरुद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2678/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर– I/स्तर– II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2679 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री अशोक कुमार 15.06.1972	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	सिंचाई खण्ड चमोली	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2679 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 2680 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–ःकार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री हिमांशु पुण्डीर 17.07.1978	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2680 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2681 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18

दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री असरा 6.6.1970	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2681 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2682 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री त्रिलोक 15.05.1969	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2682 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2683 /प्र0अ0/सिं0वि/का0-02/ई-18 दिनांक 09 जून 2023

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(जनहित में)				
01	श्री राउफ 29.12.1994	सिंचाई खण्ड विकासनगर	सिंचाई खण्ड थराली	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
5. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
6. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
7. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2683 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-।/स्तर-।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2684 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(जनहित में)				
01	श्री गुरुमेज/ 5.6.1970	सिंचाई खण्ड विकासनगर	सिंचाई खण्ड थराली	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2684 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2685 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री मटरू लाल/ 23.02.1972	सिंचाई खण्ड विकासनगर	सिचाई खण्ड उत्तरकाशी	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जातें हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2685 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2696 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री इसरार/ 12.6.1974	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	सिंचाई खण्ड केदारनाथ	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1.स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।

2.स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।

1. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
5. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लधंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
6. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
7. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2696 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2687 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री विशाल / 3.7.1989	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड जखोली	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2687 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2688 /प्र०अ०/सिं०वि/का०–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री नीरज कुमार तिवारी/10.3. 1975	सिंचाई खण्ड विकासनगर	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड जखोली	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2688 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2689 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(जनहित में)				
01	श्री चन्द्रभान 7.7.1977	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

2689
संख्या: /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर– I/स्तर– II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2690

संख्या : /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18

दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री विजेन्द्र सिंह 8.10.1988	सिचाई खण्ड विकासनगर	सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

10. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
1. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
7. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
8. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

2690

संख्या: /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2691 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री अनिस 4.7.1988	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर	सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2691 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2692 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री वीर सिह 22.2.1971	प्रशासन खण्ड रूडकी	नलकूप खण्ड हरिद्वार	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: ~~2630~~ 2692/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2693 /प्र0अ0/सिं0वि/का0-02/ई-18 दिनांक 09 जून 2023

-:कार्यालय-ज्ञापः-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(जनहित में)				
01	श्री विशाल 15.06.1995	प्रशासन खण्ड रूडकी	नलकूप खण्ड हरिद्वार	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2693 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/तदिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-।/स्तर-।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

2694

संख्या : /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

--:कार्यालय--ज्ञापः--

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(जनहित में)		
01	श्री राकेश कुमार 10.1.1981	प्रशासन खण्ड रूडकी	नलकूप खण्ड हरिद्वार	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. *स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके* विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा *अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की* व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह

प्रमुख अभियन्ता

2694

संख्याः /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2695 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–18

दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(जनहित में)				
01	श्री आलम सिंह 2.3.1971	प्रशासन खण्ड रूडकी	नलकूप खण्ड हरिद्वार	स्थानान्तरण विधेयक की धारा 17 (01) (क) में निहित प्राविधानानुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2695 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / तदिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–। / स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2670 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा अनरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर)				
01	श्री राजकुमार/ 29.05.1966	सिंचाई खण्ड पुरोला	सिंचाई खण्ड कालसी	अनुरोध के आधार पर

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2670 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2671 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट संवर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा अनुरोध में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर)				
01	श्री सुभाष चन्द्र /01.06.1970	सिंचाई खण्ड पुरोला	सिंचाई खण्ड कालसी	अनुरोध के आधार पर

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2671 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2672
संख्या : /प्र0अ0/सिं0वि/का0-02/ई-18 दिनांक 09 जून 2023

--:कार्यालय-ज्ञापः--

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवंर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर)				
01	श्री नीरज कुंवर/ 02.06.1998	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0-2, श्रीनगर	सिंचाई खण्ड कालसी	अनुरोध के आधार पर

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्व धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरुद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

2672
संख्याः /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/तदिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-।/स्तर-।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2673 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट सवर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर)				
01	श्री गोविन्द सिह/15.06.1988	पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0 जखोली	सिंचाई खण्ड रूडकी	अनुरोध के आधार पर

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: 2673 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2674 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–18 दिनांक 09 जून 2023

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **मेट संवर्ग** में कार्यरत निम्नलिखित मेट को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेट का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर)				
01	श्री नरेश/ 2.01.1967	स्थापना खण्ड रूडकी	सिंचाई खण्ड विकासनगर	अनुरोध के आधार पर

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्याः 2674 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता